



# अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ

## समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय : जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लॉट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website : [www.samtaandolan.co.in](http://www.samtaandolan.co.in)

Email : [samtaandolan@yahoo.in](mailto:samtaandolan@yahoo.in)

पाराशर नारायण  
पदेन संरक्षक  
94133-89665

राकेश कुमार  
प्रदेश अध्यक्ष  
9414591735

सवाई नाथ सपेरा  
कार्यकारी अध्यक्ष  
7976166691

योगेश खींची  
प्रदेश महासचिव  
9664134883

लखन कुमार डाबोडिया  
प्रदेश कोषाध्यक्ष  
9772516094

क्रमांक 2002-2005

दिनांक : 16.06.2023

श्रीमान केबिनेट सचिव  
भारत सरकार,  
राष्ट्रपति भवन,  
नई दिल्ली- 110004

श्रीमान सचिव,  
सामाजिक न्याय एवं  
अधिकारिता मंत्रालय  
भारत सरकार,  
शास्त्री भवन,  
नई दिल्ली- 110001

श्रीमान मुख्य सचिव  
राजस्थान सरकार,  
शासन सचिवालय,  
जयपुर

श्रीमान प्रमुख शासन  
सचिव, सामाजिक  
न्याय एवं अधिकारिता  
विभाग, जी-3/1,  
अम्बेडकर भवन,  
जयपुर

विषय:- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ओबीसी के समान किमीलेयर की अधिसूचना जारी करने बाबत।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नीचे अंकित तीन संविधान पीठों ने अपने निर्णयों में यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग से किमीलेयर को बाहर किया जाना अनिवार्य है ताकि अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के वास्तविक पिछड़े, कमजोर और वंचित व्यक्तियों तक आरक्षण एवं सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके:-

1. दिनांक 19.10.2006 के एम.नागराज बनाम भारत सरकार एवं अन्य के प्रकरण में दिया गया निर्णय।
2. दिनांक 26.09.2018 का जरनैल सिंह एवं अन्य बनाम भारत सरकार, समता आन्दोलन समिति एवं अन्य के प्रकरण में दिया गया निर्णय।
3. दिनांक 22.04.2020 को आंध्रप्रदेश सरकार एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य के प्रकरण में दिया गया निर्णय।

आपसे आग्रह है कि उपरोक्त तीनों संविधान पीठों की पालनार्थ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ओबीसी के समान किमीलेयर की अधिसूचना तत्काल जारी की जावे ताकि अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के वास्तविक पिछड़े, कमजोर और वंचित व्यक्तियों तक आरक्षण एवं सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके।

त्वरित एवं सकारात्मक कार्यवाही के लिए अग्रिम धन्यवाद।

भवदीय,

राकेश कुमार

राकेश कुमार वर्मा  
अध्यक्ष